


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1482/2013.....जिला.....अजमेर.....

उनवान- अनिल जैन पुत्र श्री अमरचंद जैन, लाखन कोटडी, अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक अजमेर द्वितीय, वृत अजमेर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी-सदस्य</p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री भवानी सिंह एवं अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विदग्ध करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पेशोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर निगरानी जरिये विदग्धाल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </div>	